बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

# सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 23 ● अंक: 228 ● नई दिल्ली ● वीरवार 11 सितम्बर 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

## 50 दिनों बाद पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तोड़ी चुप्पी, दिया पहला सार्वजनिक बयान

नई दिल्ली ।

उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे के बाद से पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने चुप्पी साधी हुई थी। हाल ही में उन्होंने इसे लेकर बयान दिया है और नए चुने गए उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन को बधाई दी है। धनखड़ ने कहा कि उपराष्ट्रपति का पद उनके विशाल अनुभव के कारण और भी अधिक गौरव प्राप्त करेगा। यह बयान 21 जुलाई को संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन पद छोड़ने के बाद उनका पहला सार्वजनिक बयान है। राधाकृष्णन को लिखे पत्र में धनखड़ ने कहा, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और मानवता के छठे हिस्से का घर माने जाने वाले भारत के उपराष्ट्रपति के तौर पर आपके चुने जाने पर हार्दिक बधाई। राधाकृष्णन को लिखे अपने पत्र में धनखड़ ने आगे कहा,इस प्रतिष्ठित पद पर आपकी पदोन्नति हमारे राष्ट्र के प्रतिनिधियों के विश्वास और भरोसे को दर्शाती है।

# राज्यपाल, मंत्रिपरिषद की सलाह लेने के लिए बाध्य, तेलंगाना सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

नई दिल्ली ।

तेलंगाना सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राज्यपाल अभियोजन स्वीकृति देने के मामले में भी मंत्रिपरिषद की सलाह लेने के लिए बाध्य होते हैं। जब कोई मंत्री या मुख्यमंत्री किसी आपराधिक मामले में शामिल हों, तभी राज्यपाल पर ये बाध्यता नहीं होती। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ, राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए विधेयक को मंजूरी देने की समयसीमा तय करने के मामले में सुनवाई कर रही है। इस पीठ में जस्टिस गवई के अलावा जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदुरकर भी शामिल हैं। तेलंगाना सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता निरंजन रेड्डी ने संविधान पीठ के समक्ष दी अपनी दलील में कहा कि राष्ट्रपति के संदर्भ पर सुनवाई करते समय सर्वोच्च न्यायालय को विधेयक पर राज्यपाल के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों पर भी गौर करना चाहिए। सुनवाई के नौवें दिन तेलंगाना के वकील ने कहा कि अनुच्छेद 200 के प्रावधान के तहत राज्यपाल के पास

कोई विवेकाधिकार नहीं होता और वे मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह लेने के लिए बाध्य होते हैं।

**अनुच्छेद 200 के प्रावधानों पर बहस**

अनुच्छेद 200 राय विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों के संबंध में राज्यपाल की शक्तियों को नियंत्रित करता है, जिससे उन्हें विधेयक को मंजूरी देने, मंजूरी रोकने, विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करने या राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित करने का अधिकार मिलता है। मंगलवार को, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपालों से समय के भीतर कार्रवाई करने की अपेक्षा की जाती है, भले ही अनुच्छेद 200 में यथाशीघ्र शब्द न हो।

**कर्नाटक का तर्क- राष्ट्रपति और राज्यपाल नाममात्र के प्रमुख**

अदालत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भेजे गए 14 प्रश्नों की जांच कर रही है, जिनमें राष्ट्रपति ने पूछा है कि क्या न्यायिक आदेश राय विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर विचार करते समय राष्ट्रपति द्वारा विवेकाधिकार के प्रयोग के लिए समय-सीमाएं निर्धारित कर सकते हैं।

मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई के दौरान कर्नाटक सरकार ने दलील दी कि सांविधानिक व्यवस्था के तहत, राष्ट्रपति और राज्यपाल केवल नाममात्र के प्रमुख हैं, जो केंद्र और राय दोनों जगह मंत्रिपरिषद की सलाह पर और उनकी मदद से काम करने के लिए बाध्य हैं।

## 13-14 सितंबर को असम दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी, 18,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास

नई दिल्ली ।मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 और 14 सितंबर को असम का दौरा करेंगे, जहाँ वह 18,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।

प्रधानमंत्री 13 सितंबर को गुवाहाटी के खानापाड़ा स्थित वेटरनरी कॉलेज फील्ड में भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी समारोह में भी शामिल होंगे। इस अवसर पर उनके सम्मान में एक स्मारक सिक्का भी जारी किया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि शाम 5:15 बजे वह भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका के जन्म शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम 1 घंटा 15 मिनट का होगा और इस कार्यक्रम की खास बात यह है कि 1200 से ज्यादा कलाकार मिलकर 18 मिनट तक डॉ. भूपेन हजारिका के 14 गीत गाएँगे।

उस कार्यक्रम में हम डॉ. भूपेन हजारिका की जीवनी का लोकार्पण करेंगे, जिसका भारत की सभी भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा। हम यह जीवनी असम के 20 लाख परिवारों तक पहुँचाएँगे।

भारतीय रिजर्व बैंक ने डॉ. भूपेन हजारिका की तस्वीर वाला एक सिक्का तैयार किया है और प्रधानमंत्री इसे लॉन्च करेंगे। प्रधानमंत्री गुवाहाटी के 1 नंबर स्टेट गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद, वह ब्रह्मपुत्र नदी पर एक नए पुल का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 14 सितंबर को प्रधानमंत्री सुबह 11 बजे मंगलदोई पहुँचेंगे और 567 करोड़ रुपये की लागत से दरांग मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और जीएनएम स्कूल का शिलान्यास करेंगे।

वह 1200 करोड़ रुपये की लागत से ब्रह्मपुत्र नदी पर नारेंगी को कुरुवा से जोड़ने वाले एक नए पुल और 4500 करोड़ रुपये की लागत से गुवाहाटी रिंग रोड का भी शिलान्यास करेंगे। 14 सितंबर को वह दोपहर 2:30 बजे नुमालीगढ़ रिफाइनरी का दौरा करेंगे और 5000 करोड़ रुपये की लागत से देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि वह 7000 करोड़ रुपये की लागत वाली पॉलीप्रोपाइलीन इकाई की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जोरहाट हवाई अड्डे से कोलकाता के लिए रवाना होंगे।

# देश को उम्मीद, प्रधानमंत्री कमजोर नहीं पड़ेंगे- अरविंद केजरीवाल

नई दिल्ली । आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है. दरअसल, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट पर पीएम मोदी ने कहा कि वो भी राष्ट्रपति ट्रम्प से बातचीत के लिए उत्सुक हैं. इस पर केजरीवाल ने सवाल किया कि दोनों देशों के बीच ये कैसी बातचीत चल रही है? केवल एक तरफा बातचीत? अरविंद केजरीवाल ने एक्स पोस्ट में कहा, ट्रम्प को खुश करने के लिए देश भर के कपास किसानों को दांव पर लगा दिया. अपने किसानों, व्यापारियों और युवाओं के रोज़गार को ताक पे रख के भारतीय बाज़ार को पूरी तरह से अमेरिकियों के लिए खोला जा रहा है. अगर पूरे भारतीय बाज़ार पर अमेरिकियों का क़ब्ज़ा हो गया तो हमारे लोग कहां जाएंगे? ट्रम्प के सामने ऐसा सरेण्डर ना केवल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए घातक है बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का अपमान भी है. देश उम्मीद करता है कि प्रधान मंत्री जी कमजोर नहीं पड़ेंगे और देश के मान की रक्षा करेंगे. अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक पोस्ट में लिखा, -मुझे यह ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका, दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं। मैं आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं. मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी! ट्रंप के पोस्ट पर पीएम मोदी ने कहा, भारत और अमेरिका करीबी दोस्त और स्वाभाविक साझेदार हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी व्यापार की बातचीत भारत-अमेरिका साझेदारी की असीम संभावनाओं को खोलने करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। हमारी टीमें इन चर्चाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए काम कर रही हैं। मैं भी राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत के लिए उत्सुक हूं। हम दोनों देशों के लोगों के लिए एक उजवल और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे.

# तूल पकड़ रहा टोल वसूली का ये मामला, अब समर्थन में उतरी आप; बड़े आंदोलन की चेतावनी

बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में यूईआर-2 टोल को लेकर दैनिक जागरण की ओर से चलाए जा रहे समाचारीय अभियान के बाद यह मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। खाप पंचायत, सामाजिक संगठन, आरडब्ल्यूए के बाद अब दिल्ली की मुख्य विपक्षी आप पार्टी ने भी टोल को हटाने की मांग करते हुए ग्रामीणों के आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा की है। इस दौरान किसानों ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि अगर टोल वापस नहीं लिया जाता है तो किसान तीन काले कानूनों की तरह इसे भी वापस लेने को मजबूर कर देंगे। मंगलवार को आम आदमी पार्टी ने किसान प्रतिनिधियों के साथ प्रेसवार्ता कर केंद्र सरकार से यूईआर-2 पर लगने वाले टोल को तत्काल वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा

कि यूईआर-2 पर लगा टोल ग्रामीणों के लिए अभिशाप बन गया है। एक तरह से यह टोल उगाही का केंद्र बन गया है। क्योंकि एक-दूसरे गांवों में जाने के लिए ग्रामीणों को 235 रुपये का टोल देना पड़ता है। ग्रामीण अपनी जायज मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। किसान अशोक ने कहा कि सभी गांव और कालोनियों के लोग इस टोल से परेशान हैं। यूईआर-2 दो दिल्ली में ट्रैफिक कम करने के लिए बनाया, लेकिन महंगे टोल से बचने के लिए लोग गांव की गलियों से निकल रहे हैं। इससे सड़कों पर जाम लग रहा है। दिल्ली देहात के किसानों की जमीन डीडीए ने सस्ते दामों में ली और उस पर यूईआर-2 बना दिया।टोल नहीं लगना चाहिए। किसान नरेश ने कहा कि देश आजाद होने के बाद किसी भी सरकार ने दिल्ली में ऐसा टोल नहीं लगाया। भाजपा सरकार ने पहली बार यह किया। दिल्ली सिर्फ 70 किमी की है और इसमें पहले कभी टोल टैक्स नहीं था। उन्होंने कहा कि यूईआर-2 पूरी दिल्ली के लिए टोल मुफ्त होना चाहिए। किसान अशोक ने कहा कि खेतों में जाने के लिए भी इतना ही टोल देना पड़ता है। जहां टोल है, वहां यू-टर्न होना चाहिए ताकि लोग टोल से बच सकें। लेकिन इन्होंने यू-टर्न भी बंद कर दिया। संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े एक किसान ने कहा कि आज दिल्ली के इतिहास में यह पहली बार हुआ है। आप विधायक संजीव झा ने कहा कि गांव वाले लगातार इस मुद्दे पर आंदोलन कर रहे हैं और धरने पर बैठे हैं। उनकी यह जायज मांग है। गांव वालों और आसपास के लोगों के लिए टोल मुफ्त होना चाहिए।

## दिल्ली में गैंगवार करने का प्लान बनाने वाले टिल्लू गैंग के 2 शूटर अरेस्ट, गोगी गैंग पर हमला करने की थी साजिश

नई दिल्ली । दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली में होने वाले बड़े गैंगवार पर लगाम लगाते हुए टिल्लू ताजपुरिया गैंग से कुख्यात शार्प शूटर दीपक गुलिया और साहिल उर्फ लारा को रोहिणी के सेक्टर 36 से हथियारों के साथ अरेस्ट कर लिया है. पुलिस को दोनों के पास से दो सेमी-ऑटोमेटिक पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, अगर यह शूटर पकड़े न जाते, तो गोगी गैंग के खिलाफ राजधानी में बड़ा खून खराबा हो सकता था. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को 19-20 की रात को एक खुफिया इनपुट मिला कि टिल्लू गैंग के हथियारबंद शूटर रोहिणी इलाके में जुट रहे हैं. इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए एक टीम का गठन किया. पुलिस की टीम ने इलाके में जाल बिछाया और दोनों कुख्यात शूटर्स को मौके से अरेस्ट कर लिया. पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद अब उसका गैंग विदेश में बैठे दीपक पाकसिया के इशारों पर चल रहा है. कुख्यात गैंगस्टर दीपक पाकसिया ने इन शूटरों को आदेश दिया था कि गोगी गैंग को अदालत के बाहर ही खत्म कर दो. योजना साफ थी. गोगी गैंग के सदस्य जैसे ही कोर्ट में पेशी के लिए आएंगे, उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी जाएगी. दिल्ली पुलिस के मुताबिक शूटर दीपक गुलिया सोनीपत का रहने वाला है. वह जेल में टिल्लू से मिला और उसी के रास्ते अपराध की दुनिया में उतर गया. वहीं दूसरा शूटर साहिल उर्फ लारा PVC मजदूर रहा, लेकिन गुलिया के बहकावे और आसान पैसे के लालच में उसने हथियार उठा लिया. पुलिस के मुताबिक, दीपक गुलिया पर सोनीपत में हत्या का केस दर्ज है. वहीं साहिल पर पानीपत में धोखाधड़ी का केस दर्ज है. पुलिस फिलहाल दोनों कुख्यात शूटरों से लगातार पूछताछ कर रही है. दिल्ली पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन दोनों शूटरों के तार कहां तक जुड़े हैं. साथ ही, विदेश में बैठे गैंगस्टर द्वारा जो इन्हें काम दिया गया था, उसका सूत्रधार कौन है.

# कैब ड्राइवर की शर्मनाक करतूत, छात्रा के सामने किया मास्टरबेट, पुलिस ने किया अरेस्ट

नई दिल्ली । दिल्ली के मॉरिस नगर इलाके में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक कैब ड्राइवर पर आरोप है कि उसने अम्बेडकर विश्वविद्यालय की एक छात्रा के सामने गलत व्यवहार किया और गाड़ी चलाते समय मास्टरबेट किया. पुलिस ने सोमवार (8 सितंबर) को इस मामले में एफआईआर दर्ज की और आरोपी ड्राइवर शंकर को गिरफ्तार कर लिया. साथ ही, उसकी कैब को भी जब्त कर लिया गया. 22 वर्षीय छात्रा जो मूल रूप से बेंगलुरु की रहने वाली है, अम्बेडकर विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है. दो महीने पहले वह मॉडल टाउन इलाके में किराए के मकान में रहने आई थी.

**बुकिंग रद्द न करने का अनुरोध किया**

सोमवार सुबह (8 सितंबर) जब वह विश्वविद्यालय जाने के लिए उसने ऐप के जरिए कैब बुक की. ऐप में करीब 10 मिनट का इंतजार समय दिखा. इस दौरान, कैब ड्राइवर शंकर ने छात्रा को फोन किया और बुकिंग रद्द न करने



का अनुरोध किया. छात्रा ने बताया कि शुरू में ड्राइवर का व्यवहार सामान्य लग रहा था. लेकिन जैसे ही उसने आगे की सीट पर बैठने से मना किया और पीछे की सीट पर बैठ गई, ड्राइवर का व्यवहार बदल गया. बातचीत के दौरान उसे पता चला कि छात्रा दक्षिण भारत से है. इसके बाद ड्राइवर ने बार-बार छात्रा को छूने की कोशिश की और अश्लील टिप्पणियां करना शुरू कर दिया. स्थिति तब और बिगड़ गई जब ड्राइवर ने गाड़ी में मास्टरबेट करना शुरू कर दिया. छात्रा ने शोर मचाया, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी. कुछ दूरी तय करने के बाद उसने आखिरकार कैब को दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस पर रोका.

**पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट**

मौके का फायदा उठाकर डरी हुई छात्रा तुरंत गाड़ी से उतर गई और वहां से भाग गई. कुछ दूरी तय करने के बाद उसने अपने परिचितों को फोन किया और दोस्तों के साथ मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन जाकर लिखित शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने शिकायत के आधार पर ड्राइवर शंकर को गिरफ्तार कर लिया. जांच में पता चला कि शंकर, 48 साल का है और मलका गंज का रहने वाला है. मॉरिस नगर पुलिस ने कैब जब्त कर ली और फॉरेंसिक टीम एवं क्राइम ब्रांच की मदद से सबूत जुटाए.

**पीड़िता को दी गई काउंसलिंग**

इस बीच, पुलिस ने छात्रा को काउंसलिंग भी प्रदान की ताकि उसे मानसिक रूप से सहारा मिल सके. पुलिस का कहना है कि ऐसे मामलों में तुरंत शिकायत करना बेहद जरूरी है, ताकि अपराधियों को सजा मिल सके और सुरक्षा सुनिश्चित हो.

# विपक्ष की नकारात्मक राजनीति और राष्ट्र-विरोधी विमर्श पर राष्ट्रवाद की जीत ने कई संदेश दिये

नीरज कुमार दुबे

उपराष्ट्रपति चुनाव के परिणाम ने भारतीय राजनीति में कई नये संकेत दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए के उम्मीदवार सी.पी. राधाकृष्णन ने विपक्षी खेमे के साझा प्रत्याशी और पूर्व न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी को मात देकर देश के 15वें उपराष्ट्रपति पद पर विजय हासिल की। यह विजय कई मायनों में खास है क्योंकि 452 बनाम 300 वोट का अंतर केवल एक चुनावी आँकड़ा नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की नयी दिशा की ओर इशारा करता है। विपक्ष ने दावा किया था कि उसके सभी 315 सांसद मतदान में उपस्थित रहे और पूरा खेमे ने एकजुटता दिखायी। लेकिन नतीजे में विपक्ष 15 वोट पीछे रह गया और उतने ही वोट अमान्य घोषित हुए। इसका सीधा अर्थ यह है कि विपक्षी खेमे में या तो क्रॉस वोटिंग हुई या जानबूझकर अमान्य मत डाले गये। यही घटना विपक्षी गठबंधन की एकता पर गहरे सवाल खड़े करती है। दरअसल, इस परिणाम ने विपक्षी दलों की आंतरिक असहमति और पारस्परिक अविश्वास को उजागर कर दिया है।

**राष्ट्रवादियों की जीत के मायने**

उधर, राधाकृष्णन ने अपनी जीत को राष्ट्रवादियों की जीत बताया है। इसका सकारात्मक अर्थ यह है कि एनडीए की राजनीति केवल चुनावी अंकगणित तक सीमित नहीं है, बल्कि वह राष्ट्रवादी विचारधारा को जनता और सांसदों के बीच एक व्यापक स्वीकृति दिलाने में सफल रहा है। देखा जाये तो हाल के वर्षों में विपक्ष ने अपनी राजनीति का केन्द्र सत्ता विरोध तक सीमित कर दिया है। स्वस्थ लोकतांत्रिक विमर्श की जगह आरोप-प्रत्यारोप, नकारात्मक प्रचार और देश की संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करने की परंपरा बनती जा रही है। संसद से लेकर न्यायपालिका और चुनाव आयोग तक, विपक्ष की ओर से लगातार यह प्रयास देखा गया है कि जनता के मन में इन संस्थानों के प्रति अविश्वास पैदा किया जाए। यही कारण है कि उपराष्ट्रपति चुनाव केवल एक पद के लिए मतदान नहीं था, बल्कि यह उस नकारात्मक राजनीति और राष्ट्र-विरोधी विमर्श के खिलाफ एक जनादेश की तरह सामने आया। सी.पी. राधाकृष्णन की ऐतिहासिक जीत ने स्पष्ट कर दिया है कि देश की राजनीति में राष्ट्रवाद की विचारधारा ही जनता के विश्वास की धुरी है। विपक्ष भले ही इसे



संख्या का खेल बताने का प्रयास करे, लेकिन तथ्य यह है कि क्रॉस वोटिंग और विपक्षी खेमे में बिखराव ने उनकी एकता की पोल खोल दी। यह संदेश दूर तक गया है कि जब बात राष्ट्रहित और स्थिरता की आती है तो विपक्षी दलों के भीतर भी कई लोग एनडीए के साथ खड़े होना पसंद करते हैं। यह जीत विपक्ष द्वारा रची जा रही उस नकारात्मक छवि को भी ध्वस्त करती है जिसमें संवैधानिक पदों को मात्र राजनीतिक उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था। राधाकृष्णन ने इसे राष्ट्रवाद की जीत कहा है और इसमें गहरा संदेश छिपा है। दरअसल, यह जीत उन लोगों के लिए आश्वस्ति है जो मानते हैं कि लोकतंत्र में विरोध जरूरी है लेकिन विरोध की आड़ में देश की संस्थाओं को कमजोर करना आत्मघाती है। देखा जाये तो उपराष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रवादियों की जीत विपक्ष की नकारात्मक राजनीति पर करारा जवाब है।

**तमिलनाडु की राजनीति पर क्या असर होगा?**

इसके अलावा, उपराष्ट्रपति पद पर सीपी राधाकृष्णन की जीत का गहरा असर तमिलनाडु की राजनीति पर भी पड़ने वाला है। तमिलनाडु लंबे समय से द्रविड़ राजनीति का गढ़ रहा है, जहां भाजपा अब तक सीमित प्रभाव ही बना पाई है। लेकिन राधाकृष्णन जैसे वरिष्ठ और लोकप्रिय नेता का इस संवैधानिक पद तक पहुँचना भाजपा और एनडीए के लिए एक मनोबलवर्धक उपलब्धि है। सबसे पहले, यह जीत भाजपा को तमिलनाडु में राजनीतिक स्वीकार्यता दिलाती है। अब भाजपा केवल बाहरी ताकत नहीं, बल्कि तमिलनाडु से जुड़ा चेहरा रखने वाली राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभरेगी। राधाकृष्णन की साफ-सुथरी छवि और जमीनी पकड़ भाजपा को उन मतदाताओं के बीच पहुँचाने में मदद करेगी जो अब तक द्रविड़ पार्टियों के बीच उलझे रहे। जब तमिलनाडु के मतदाता देखेंगे कि उनके ही राज्य से आया एक नेता राष्ट्रीय राजनीति में इतना बड़ा पद हासिल कर रहा है, तो उन्हें भाजपा की प्रासंगिकता का अहसास होगा। यह विजय यह भी संदेश देती है कि भाजपा केवल उत्तर भारत की पार्टी नहीं है। दक्षिण भारत में भी भाजपा का राजनीतिक विस्तार संभव है। राधाकृष्णन की जीत से एनडीए को स्थानीय सहयोगी दलों के साथ तालमेल मजबूत करने में मदद मिलेगी और आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा का वोट शेयर बढ़ने का आधार बनेगा। देखा जाये तो तमिलनाडु में भाजपा की सबसे बड़ी चुनौती डीएमके और एआईएडीएमके जैसी स्थापित द्रविड़ पार्टियाँ रही हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव ने दिखा दिया कि भाजपा अब किनारे की खिलाड़ी नहीं रही, बल्कि उसकी जड़ें मजबूत हो रही हैं। यह जीत भाजपा-एनडीए कार्यकर्ताओं को जोश से भर देगी और जनता के बीच यह संदेश जाएगा कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर तमिलनाडु का नेता इतना बड़ा पद हासिल कर सकता है तो राज्य की राजनीति में भी भाजपा का भविष्य सुरक्षित है। राधाकृष्णन की जीत भाजपा और एनडीए के लिए तमिलनाडु विधानसभा चुनावों का मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक पूंजी बनकर सामने आएगी, जो दक्षिण में पार्टी के विस्तार की दिशा में निर्णायक कदम साबित हो सकती है।

**क्षेत्रीय दलों ने क्या संदेश दिया?**

इसके अलावा, इस चुनाव में क्षेत्रीय दलों का रुख भी महत्वपूर्ण रहा। आंध्र प्रदेश की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने एनडीए उम्मीदवार का समर्थन किया, ओडिशा की बीजेडी और तेलंगाना की बीआरएस ने मतदान से अनुपस्थित रहकर अप्रत्यक्ष रूप से एनडीए की मदद की। यह स्थिति साफ दिखाती है कि राष्ट्रीय राजनीति में एनडीए की पकड़ मजबूत हो रही है और कई क्षेत्रीय दल अवसरवादी राजनीति की बजाय केंद्र की स्थिरता और शक्ति संतुलन के साथ खड़े होने का संकेत दे रहे हैं। यह संदेश विपक्षी खेमे के लिए और भी चुनौतीपूर्ण है।

**बिहार चुनाव पर क्या असर होगा?**

वहीं नहीं, उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की इस बड़ी जीत के राजनीतिक निहितार्थ बिहार तक भी पहुँचते हैं, जहाँ निकट भविष्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। एनडीए की यह जीत विपक्षी गठबंधन की कमजोरियों को उजागर करती है और बिहार में भाजपा-जदयू की साख को और मजबूत करती है। यह परिणाम बताता है कि केंद्र से लेकर राज्य तक एनडीए अपनी पकड़ बनाये हुए है और विपक्षी दलों का 'एकजुट मोर्चा' केवल घोषणाओं तक ही सीमित है।

बहरहाल, सी.पी. राधाकृष्णन की जीत केवल एक व्यक्ति की सफलता नहीं है, बल्कि यह भारतीय राजनीति में एनडीए की बढ़ती धमक, विपक्षी खेमे में बिखराव और राष्ट्रवादी विचारधारा की स्वीकृति का प्रतीक है। दक्षिण में भाजपा के लिए नए अवसर खुल रहे हैं, क्षेत्रीय दल एनडीए के प्रति झुकाव दिखा रहे हैं और विपक्षी एकता का दावा खोखला साबित हुआ है। यह सब मिलकर राष्ट्रीय राजनीति में एनडीए को एक और मजबूत स्थिति में खड़ा कर देता है।

## सम्पादकीय...

# उमर, शरजील, फातिमा-इनको जेल में ही रहने दो यारो!

विरोधियों को तो मोदी जी-शाह जी के राज से शिकायत का बहाना चाहिए। अब बताइए, और कुछ नहीं मिला तो इसी का रोना रोकर पब्लिक को सेंटीमेंटल करने की कोशिश कर रहे हैं कि उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा वगैरह की जमानत की अर्जी फिर खारिज हो गयी। यानी पांच साल तो हो गए जेल में, पर ये दस के दस युवा-छात्र, अभी जेल में ही रहेंगे। पांचवीं बार अदालत ने जमानत की अर्जी खारिज की है, अभी जेल में ही सड़ते रहेंगे। न कोई सबूत है और न कोई सुनवाई शुरू हुई है, पर जेल में तो एड़ियां रगड़ते रहेंगे। सिर्फ इसलिए कि इन्होंने शाहीनबाग वाले आंदोलन के टैम पर मोदीशाही का विरोध किया था, इनकी जवानी के बेशकीमती दिन यूं ही जेल की सलाखों के पीछे गुजरते रहेंगे। ये कहां का न्याय है? वो कहां है जो कहते थे कि जमानत ही नियम है, जेल जाना अपवाद है? ये कहां का कानून है? यह तो कार्रवाई ही सजा हो गयी, फिर कार्रवाई के नतीजे का इंतजार करने का मतलब ही क्या है? और भी न जाने क्या-क्या! पर क्या यह शिकायत ही झूठी नहीं है। यानी एक मामूली जमानत के खारिज होने पर इस तरह रोना-धोना? अदालत को और उसके बहाने से मोदी जी की सरकार को ही कोसना, वगैरह। क्या यह सब बहुत ज्यादा ही नहीं हो गया? पहली बात तो यही है कि इन लोगों के लिए जमानत की अर्जी खारिज होना क्या कोई नयी बात है? यह पांचवीं बार है जब इनकी जमानत की अर्जी खारिज हुई है। पांच साल में पांच बार यानी औसतन साल में एक बार। इतनी बार में तो इन्हें जमानत की अर्जी के खारिज होने आदत हो जानी चाहिए थी। बल्कि हम तो कहते हैं कि आदत हो चुकी होगी। ये जो डेमोक्रेसी से लेकर सेकुलरिज्म तक, पश्चिमी विचारों के नामलेवा, इनको जमानत से इंकार का इतना रोना-धोना कर रहे हैं, हमारे हिसाब से तो सब दिखावा है। वर्ना सबको पहले ही पता होगा कि जमानत नहीं मिलेगी। जमानत मांगने वालों ने भी जमानत की अर्जी यह जानते-समझते हुए लगायी होगी कि जमानत तो नहीं मिलेगी। जब पहले चार बार नहीं मिली, तो पांचवीं बार ही जमानत क्यों मिल जाएगी? चार अदालतों ने जब पहले ही जमानत देने से इंकार कर दिया, तो पांचवीं अदालत ही लीक छोड़कर क्यों चलेगी और जमानत देने की जुर्रत क्यों करेगी? पांचवीं अदालत ही अपने भविष्य की तरफ से आंखें मूंदकर क्यों चलेगी? न्याय की मूर्ति की आंखों से पट्टी किसलिए हटवायी गयी है, आंखें मूंदकर न्याय करने के लिए या आगे-पीछे सब कुछ देखकर पूरा न्याय करने के लिए। पूरा न्याय यानी न्यायाधीशों के भविष्य के साथ भी न्याय! और ये जो बहुत ज्यादा वक्त हो जाने, फिर भी सुनवाई शुरू तक नहीं होने का शोर मचाया जा रहा है, वह बिल्कुल बेबुनियाद है। पहली बात तो यह है कि पांच साल का वक्त कोई इतना ज्यादा नहीं होता है कि इसी बहाने कोई जमानत मांगे और जमानत मिल भी जाए। होता होगा किन्हीं और मामलों में पांच साल का वक्त भी बहुत ज्यादा। होने को तो एक दिन का वक्त भी बहुत ज्यादा हो सकता है। बड़े वाले गोदी पत्रकार, अर्णव गोस्वामी के मामले में तो सबसे ऊंची अदालत को एक दिन की हिरासत भी बहुत ज्यादा लगी थी और उसे हाथ के हाथ रिहा कर दिया गया था। और भी कई मामलों में अदालतों को एक दिन भी बहुत ज्यादा लगा है। पर इन दस के मामले में पांच साल का वक्त भी बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे भीमा-कोरेगांव मामले में भी पांच-सात साल का वक्त बहुत ज्यादा नहीं था। ऐसे मामलों में, जिनमें सरकार ही चाहती है कि बंदा ज्यादा से ज्यादा देर जेल में रहे, कितना भी हो वक्त इतना ज्यादा नहीं होता है कि बंदा इसीलिए बाहर आ जाए कि अंदर रहते-रहते बहुत वक्त हो गया। यह विशेष सुविधा या तो राम रहीमों तथा आसारामों के लिए सुरक्षित है या फिर अंडरवर्ल्ड के डॉनों के लिए। और जो लगातार इसका शोर मचाया जाता रहता है कि पांच साल हो गए, मुकदमे की सुनवाई शुरू तक नहीं हुई, सुनवाई से पहले और सुनवाई के दौरान और कितने साल जेल में सड़ाया जाएगा, यह भी एक प्रकार का एंटी-नेशनल प्रचार ही है। ऐसी दलीलें देने वालों को असल में न देश की कानून व व्यवस्था पर विश्वास है और न न्याय व्यवस्था पर। वर्ना जिसमें लेशमात्र भी देशभक्ति है, आसानी से इस बात को समझ सकता है कि ऐसे मामलों में सबूत जुटाना कितना कसाले का और टैम लेने वाला काम है। आखिरकार, यह ऐसे राष्ट्र विरोधी षड्यंत्र का मामला है, जिसमें बंदों ने करने के नाम पर सिर्फ भाषण दिए हैं, प्रदर्शनों में हिस्सा लिया है और षड्यंत्र के नाम पर, व्हाट्सएप्प संदेशों से लोगों को इकट्ठा किया है, जो सब कानून के दायरे में आता है। जो कानून के दायरे में हो, उसमें से भी 'राष्ट्रविरोधी षड्यंत्र' के साक्ष्य खोजकर निकालने के लिए तो, असली षड्यंत्र से भी ज्यादा समय और श्रम की जरूरत होगी ही। फिर दिल्ली के दंगों के पीछे के और गहरे षड्यंत्र के आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य खोजने में पांच साल से ज्यादा लग रहे हैं, तो क्या यह बहुत ज्यादा है? ट्रंप की यात्रा के समय पर होने से यह तो अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र था, जिसके साक्ष्य खोजने के लिए और ज्यादा टैम चाहिए। असली बात यह है कि कानून अपना काम कर रहा है और सरकार भी अपना काम कर रही है। हर देशभक्त का कर्तव्य है कि उनके काम करने पर भरोसा रखे। रही टैम लगने की बात, तो सब्र रखना, हरेक देशभक्त का परम कर्तव्य है। एंटी-नेशनलों वगैरह की हम नहीं कहते, पर देशभक्तों के लिए भी और उनकी सरकार के लिए भी, सब्र का फल मीठा ही हो सकता है। और उमर खालिद वगैरह की इस दलील में भी कोई दम नहीं है कि उन्हें इसलिए जमानत दी जाए क्योंकि उसी केस में नताशा नरवाल, देवांगना कलिता वगैरह को जमानत दी गयी है। केस एक है, षड्यंत्र एक है, पर एक जैसा सलूक होने के लिए इतना ही काफी नहीं है। षड्यंत्र में भूमिकाएं भी तो अलग हो सकती हैं, जिसका पता जांच पूरी होने के बाद चलेगा। वैसे सच्ची बात तो यह है कि सरकार ने भी उनके साथ बराबरी का सलूक करने की पूरी कोशिश की थी और नताशा वगैरह की जमानत का भी उसी तरह विरोध किया था। लेकिन, नाम देखकर जमानत मिल ही गयी, तो इसमें बेचारी सरकार और उसकी एजेंसियों का क्या कसूर? वैसे भी इस देश में, जहां भगवान कृष्ण का जन्म कारागार में ही हुआ था और आजादी की लड़ाई में लाखों लोग जेल गए थे, किसी के जेल में बंद रखे जाने पर इतनी हाय-तौबा करना क्या ठीक है? सरकार तसल्ली से जांच कर ले, फिर अदालत तसल्ली से मुकदमे की सुनवाई कर ले। दूध का दूध, पानी का पानी हो ही जाएगा।

# प्रकृति की नाराजगी को नहीं समझा तो मानव अस्तित्व खतरे में

ललित गर्ग ।

प्रकृति अपनी उदारता में जितनी समृद्ध है, अपनी प्रतिशोधी प्रवृत्ति में उतनी ही कठोर है। जब तक मनुष्य उसके साथ तालमेल में रहता है, तब तक वह जीवन को वरदान देती है, जल, जंगल और जमीन के रूप में। लेकिन जैसे ही मनुष्य अपनी स्वार्थपूर्ण महत्वाकांक्षाओं और तथाकथित आधुनिक विकास की अंधी दौड़ में प्रकृति की उपेक्षा करने लगता है, वही प्रकृति विनाश का रूप धारण कर लेती है। आज पूरे भारत में जो बाढ़, जल प्रलय और मौसम के अनियंत्रित बदलाव के दृश्य दिखाई दे रहे हैं, वे केवल प्राकृतिक आपदा नहीं हैं, बल्कि हमारी गलतियों का सीधा परिणाम हैं। प्रकृति के इस रौद्र रूप के पीछे महज संयोग या 'कुदरत की नाराजगी' को जिम्मेदार ठहराना पर्याप्त नहीं है। यह आपदाएं सीधे-सीधे जलवायु परिवर्तन, वनों की अंधाधुंध कटाई और अनियंत्रित विकास मॉडल का परिणाम हैं। पहाड़ों का पारिस्थितिकी तंत्र अत्यंत संवेदनशील होता है, लेकिन नीतिनिर्माताओं ने पहाड़ों के विकास को मैदानी मॉडल पर ढालने की कोशिश की। बड़े-बड़े होटल, अव्यवस्थित सड़कें, बांध, खनन और निर्माण ने पहाड़ों की नाजुक संरचना को हिला दिया। जब जंगल काटे जाते हैं तो वर्षा का पानी भूमि में समाने के बजाय सीधे तेज धाराओं के रूप में बहने लगता है। यही बाढ़ और भूस्खलन का बड़ा कारण बनता है, इसी से भारी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है, देश के बड़े हिस्से में जन-जीवन अस्त-व्यस्त है, लाखों हेक्टेयर फसलें जलमग्न है, जान-माल का नुकसान भी बड़ा हुआ है, भारी आर्थिक नुकसान ने घना अंधेरा बिखेर दिया है। चारों ओर चिन्ताओं एवं परेशानियों के बादल मंडरा रहे हैं। आज की बाढ़ और जल प्रलय केवल पानी का उफान नहीं, बल्कि हमारी गलतियों का आईना है। यह प्रकृति का प्रतिशोध है, उसकी चेतावनी है कि यदि अब भी नहीं चेते तो भविष्य और भी विकराल होगा। महात्मा गांधी ने कहा था-प्रकृति हर किसी की आवश्यकता पूरी कर सकती है, लेकिन किसी के लालच को नहीं। यही सच्चाई है। यदि हमने संतुलन नहीं सीखा, तो वह विनाशकारी दृश्य आने वाले वर्षों में और भयावह होंगे। लेकिन यदि हमने चेतावनी को अवसर माना, तो प्रकृति फिर से मां की तरह हमें संभाल लेगी। जीवनदायी पानी जब अपने विकराल रूप में सामने आता है तो उसका प्रकोप कितना घातक और विनाशकारी हो सकता है, यह इस वर्ष की मूसलाधार मानसूनी बारिश एवं बादल फटने की घटनाओं ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है। सामान्यतः जल जीवन का आधार है, लेकिन जब वही जल अपनी मर्यादा तोड़कर प्रलयंकारी रूप में आता है तो घर, खेत, सड़क, पुल, मंदिर-मस्जिद और मानवीय जीवन तक बहाकर ले जाता है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के पहाड़ी राज्य इस समय प्रकृति के ऐसे ही कहर का दंश झेल रहे हैं। बादल फटने की अप्रत्याशित घटनाएं, पहाड़ों से टूटते हिमखंड, अचानक बहते मलबे और बेकाबू नदियों का सैलाब-ये सब मिलकर भयावह परिदृश्य खड़ा कर रहे हैं। वनों की कटाई ने न केवल भूमि की जलधारण क्षमता घटाई है, बल्कि स्थानीय जलवायु चक्र को भी प्रभावित किया है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान बढ़ा है, जिससे पहाड़ी इलाकों में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और अप्रत्याशित समय पर अत्यधिक वर्षा हो रही है। यही कारण है कि बादल फटने जैसी घटनाएं पहले की तुलना में कई गुना बढ़ गई हैं। पहाड़ों की बस्तियां, जो कभी प्राकृतिक संतुलन में जीती थीं, अब मानवजनित गतिविधियों की मार झेल रही हैं। दरअसल, समस्या का मूल यह है कि हमने विकास की परिभाषा को केवल कंक्रीट और मशीनों से जोड़ दिया है। पर्यावरणीय संतुलन और पारिस्थितिकीय संवेदनशीलता को दरकिनार कर योजनाएं बनाई गईं। इसी का परिणाम है कि जब आपदा आती है तो न तो हमारी चेतावनी प्रणाली पर्याप्त साबित होती है और न ही प्रशासन की तैयारियां। सर्वोच्च न्यायालय में हिमाचल सरकार ने यह स्वीकार भी किया है कि अब तक अपनाए गए उपाय अपर्याप्त हैं। यह स्वीकारोक्ति बताती है कि समस्या कितनी गंभीर है। भारत की नदियाँ कभी जीवन का स्रोत मानी जाती थीं। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी जैसी नदियों के किनारे सभ्यताएं फली-बढ़ीं। लेकिन आज वही नदियां मौत का पैगाम बनकर आती हैं। कारण है उनके प्राकृतिक प्रवाह में मानवीय हस्तक्षेप-बेतरतीब बांध, अतिक्रमण, नालों में बदल चुकी धारा और किनारों पर बसी बस्तियाँ। भारत में हर साल औसतन 1,600 लोग बाढ़ से मारे जाते हैं और लगभग 75 लाख लोग प्रभावित होते हैं। फसलें तबाह होती हैं, पशुधन मरता है और अरबों रुपए की आर्थिक क्षति होती है। केवल 2023 में उत्तराखंड, हिमाचल और दिल्ली में आई बाढ़ से 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ। पिछले कुछ दशकों में मौसम का पैटर्न पूरी तरह बिगड़ चुका है। मानसून जो पहले जून से सितंबर तक नियमित हुआ करता था, अब अनिश्चित और असमान हो गया है। कभी 24 घंटे में महीनों की बारिश हो जाती है, तो कभी लंबे सूखे का दौर देखने को मिलता है। 2013 की केदारनाथ त्रासदी ने पहाड़ों में अंधाधुंध निर्माण की पोल खोल दी। 2023 में दिल्ली में यमुना का 45 साल का रिकॉर्ड टूटना इस बात का संकेत है कि शहर जलवायु परिवर्तन और अव्यवस्थित शहरीकरण के सामने पूरी तरह असुरक्षित हो चुके हैं। देश के लगभग हर हिस्से में जल प्रलय की कहानियाँ देखी जा सकती हैं। उत्तराखंड और हिमाचल में पहाड़ टूट रहे हैं, भूस्खलन से गांव उजड़ रहे हैं। बिहार और असम में बाढ़ हर साल लाखों लोगों को बेघर कर देती है। दिल्ली और मुंबई जैसे आधुनिक महानगर भी जलजमाव से पंगु हो जाते हैं। राजस्थान जैसे रेगिस्तानी राज्य में भी अनियंत्रित बारिश और बाढ़ का नया खतरा मंडरा रहा है। सड़कों पर नावें चल रही हैं, पुल बह गए हैं, खेत-खलिहान जलमग्न है। यह नजारा केवल विनाश का नहीं, बल्कि हमारी नासमझी का प्रमाण है। प्रकृति बार-बार संकेत देती है कि संतुलन ही जीवन का आधार है, लेकिन हमने उसकी सीमाओं को लांघ दिया है। पहाड़ों को खोखला कर सुरंगें और सड़कें बनाई गईं। जंगलों को काटकर कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए गए। नदियों को उनके मार्ग से हटाकर कृत्रिम रास्तों में बांध दिया गया। आज जब बादल फटते हैं या नदियाँ बेकाबू होती हैं, तो यह केवल आपदा नहीं बल्कि प्रकृति का प्रतिशोध है। अब सवाल यह है कि इस संकट से निपटें कैसे। केवल राहत और मुआवजा देना समाधान नहीं है। आवश्यकता है दीर्घकालिक और ठोस कदम उठाने की। हमें जंगल बचाने होंगे, नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को बहाल करना होगा, शहरी योजनाओं में जलनिकासी और हरियाली को महत्व देना होगा, पर्वतीय विकास में संयम लाना होगा और सबसे बढ़कर जनजागरूकता फैलानी होगी ताकि लोग समझ सकें कि पर्यावरण की रक्षा ही उनके जीवन की रक्षा है।

जरूरत है कि आपदाओं को केवल 'प्राकृतिक' न मानकर उन्हें 'मानव निर्मित' एवं सरकार की गलत नीतियों की आपदाएं' भी समझा जाए। इसका अर्थ है कि इनका समाधान केवल राहत और बचाव तक सीमित न रहकर दीर्घकालिक रणनीति से जुड़ा होना चाहिए। विशेषज्ञों की राय, वैज्ञानिक अध्ययन और स्थानीय समुदायों के अनुभवों को मिलाकर ऐसी नीतियां बननी चाहिएं, जो पहाड़ों की प्राकृतिक संरचना और पारिस्थितिकी को ध्यान में रखें। प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति हमें चेतावनी दे रही है कि यदि हमने समय रहते संतुलित विकास का मार्ग नहीं चुना तो भविष्य और अधिक भयावह होगा। पूर्व चेतावनी प्रणाली को सशक्त बनाना, पहाड़ी राज्यों के बीच आपसी समन्वय बढ़ाना, आपदा प्रबंधन तंत्र को त्वरित और प्रभावी बनाना, और सबसे बढ़कर-वनों एवं प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना, यह सब आज की सबसे बड़ी जरूरत है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भारत प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली भारी जन-धन हानि को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस वर्ष की बाढ़ और बादल फटने की घटनाएं केवल त्रासदी नहीं, बल्कि एक स्पष्ट संदेश है-कि प्रकृति के साथ असंतुलन की कीमत हमें अपने अस्तित्व से चुकानी पड़ सकती है। इसलिए विकास की नीतियों को पर्यावरण की दृष्टि से पुनर्परिभाषित करना ही इस संकट से उबरने का वास्तविक मार्ग है।

# 'आधार मेरी पहचान'

भारत संविधान से चलने वाला देश है और इस देश के संविधान का झंडा स्वतन्त्र न्यायपालिका ने हर विषम परिस्थिति में भी हमेशा ऊंचा रखने का प्रयास किया है। यदि केवल 21 महीने के इमरजेंसी काल को छोड़ दिया जाये तो देश की न्यायपालिका ने हर हाल में पूरे देश को संविधान के रास्ते पर चलने की राह दिखाई है और सिद्ध किया है कि भारत में केवल उस कानून का राज ही चलेगा जो सबके लिए बराबर होता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने न्यायपालिका को सरकार का अंग इसीलिए नहीं बनाया था जिससे राजनीतिक स्तर पर चुनी जाने वाली हर सरकार केवल संविधान के अनुसार ही शासन चलाये और हर सरकार की अन्तिम प्रतिबद्धता केवल संविधान के प्रति ही हो। इसी प्रकार हमारे संविधान निर्माताओं ने चुनाव आयोग को भी सरकार का हिस्सा नहीं बनाया और इसकी जिम्मेदारी तय की कि वह भारत के हर नागरिक को मिले एक वोट के अधिकार की सुरक्षा करेगा और देखेगा कि उसके एक वोट की कीमत सार्वभौमिक तौर पर एक बराबर हो। किसी मजदूर के वोट की कीमत भी वही हो जो किसी उद्योगपति के वोट की होती है। स्वतन्त्रता के बाद से चुनाव आयोग अपनी यह जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाता आ रहा था मगर वर्तमान में इसकी विश्वसनीयता पर बड़ा प्रश्न चिन्ह तब आकर लगा जब इसकी बनाई मतदाता सूची पर सवालिया निशान लगने लगे। बिहार में चुनाव आयोग जो सघन मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम करा रहा है उसमें 65 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिये गये। ये नाम जिन कारणों से हटाये गये उनके पीछे चुनाव आयोग का अपना तर्क हो सकता है मगर इनके प्रदूषित होने के प्रमाण भी बहुत जल्दी ही देश के विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी ने उजागर कर दिये। चुनाव आयोग का मुख्य कार्य देश में साफ-सुथरे व पारदर्शी चुनाव कराने का है क्योंकि इनकी मार्फत ही देश में लोकतन्त्र का आधार तैयार होता है। बाबा साहेब अम्बेडकर जब चुनाव आयोग का गठन कर रहे थे तो उनके सामने लक्ष्य राजनीतिक समानता व आजादी का था। इसकी आधारशिला मतदाता सूची ही थी। अतः चुनाव आयोग की जिम्मेदारी इसे पूर्णतः स्वच्छ तरीके से बनाने की तय की गई और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि कोई भी भारतीय नागरिक इससे छूटना नहीं चाहिए और किसी अवैध भारतीय को इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अपनी इस जिम्मेदारी को चुनाव आयोग ने 1952 के पहले चुनावों से लेकर अब तक पूरी निष्ठा से निभाया और अपना नजरिया समावेशी रखा जिससे हर गरीब-गुरबे का भी वोट बन सके लेकिन बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण करते समय चुनाव आयोग अपनी इस जिम्मेदारी को भूल गया और पहली बार स्वतन्त्र भारत में उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा। उसने मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए 11 ऐसे दस्तावेजों की सूची जारी की जो किसी आम भारतीय के पास बामुश्किल ही पाये जाते हैं और राशन कार्ड व आधार कार्ड को इस सूची से गायब कर दिया।

राशन कार्ड व आधार कार्ड प्रायः हर गरीब से गरीब व्यक्ति के पास भी होते हैं। आधार कार्ड को तो हर भारतवासी के लिए जरूरी दस्तावेज भी केन्द्र सरकार ने ही बनाया था जो उसके निवासी होने का प्रमाणपत्र था। यह आधार कार्ड हर जरूरी सरकारी कामकाज के लिए जब काम में आता है तो मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की फेहरिस्त से इसे बाहर क्यों किया गया? इससे चुनाव आयोग की मंशा पर सन्देह व्यक्त किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने यह कह कर कुतर्क पेश किया कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। इससे सवाल खड़ा हुआ कि क्या चुनाव आयोग को किसी भारतीय की नागरिकता की जांच करने का अधिकार है।

जाहिर है कि यह अधिकार संविधान केवल गृह मन्त्रालय को ही देता है। भारत का कोई भी नागरिक चुनाव आयोग के सामने जब यह लिख कर देता है कि वह भारत का नागरिक है तो उसकी विश्वसनीयता की कानूनन जांच तभी की जा सकती है जब कोई दूसरा व्यक्ति उसके इस दावे को चुनौती दे। अतः आधार कार्ड को मतदाता सूची में शामिल करने के दस्तावेज के मानने से किसी को क्या गुरेज हो सकता है। अतः देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय इस सम्बन्ध में दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए लगातार कह रही थी कि आधार कार्ड को भी 12वां ऐसा दस्तावेज माना जाना चाहिए जिसके दिखाने पर किसी नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। मगर चुनाव आयोग की बेशर्मी यह थी कि वह उसके इस सुझाव या निर्देश पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। अतः अन्त में 8 सितम्बर को सर्वोच्च न्यायालय को लिखित आदेश देना पड़ा कि आधार कार्ड बाकायदा 12वां दस्तावेज होगा। इससे देशवासियों ने बहुत राहत की सांस ली है क्योंकि चुनाव आयोग अब पूरे देश में ही बिहार की तर्ज पर मतदाता सूची पुनरीक्षण करना चाहता है। हालांकि अभी सर्वोच्च न्यायालय को इस बारे में भी अंतिम फैसला देना है कि क्या आयोग ऐसा कर भी सकता है या नहीं। गौर से देखा जाये तो चुनाव आयोग का कार्य हर चुनाव से पहले मतदाता सूचियों का संशोधन करना होता है और जब यह कार्य वह करता रहता है तो उसे सघन पुनरीक्षण की जरूरत क्यों पड़े? इसका मतलब यह भी निकाला जा सकता है कि चुनाव आयोग को अपने ही किये गये कार्य पर विश्वास नहीं है। पूरे देश में 2024 के लोकसभा चुनाव आयोग की ताजा मतदाता सूची के आधार पर ही हुए थे। मगर ये सब बारीक कानूनी नुक्ते हैं जिनके पेंच सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ व विद्वान वकील ही खोल सकते हैं।

फिलहाल तो आधार कार्ड को 12वां दस्तावेज बनाये जाने का मुद्दा ही मुख्य है। निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि भारत की न्यायपालिका किसी भी संवैधानिक संस्था तक को संविधान के ही रास्ते पर डालने की कला जानती है। चुनाव आयोग का अब यह कर्तव्य बनता है कि वह विनम्रता सीखे और अपनी उस जिम्मेदारी को न्यायपूर्वक निभाये जो संविधान निर्माता उसके कन्धों पर डाल कर गये हैं।

# विदेश में मैं कितना खुश था, देश में आते ही गमज़दा हो जाता हूँ

वर्षा ऋतु चल रही है। बारिश तो हमेशा आती है पर इतना कहर कभी नहीं ढाती है। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में तो बहुत ही बुरा हाल है। हर जगह अति वृष्टि, बादल फटने, भूस्खलन जैसी घटनाएं हो रही हैं। गांव के गांव तबाह हो गए हैं। मरने वालों की असली संख्या तो शायद भगवान ही बता सकते हैं। मैदानी इलाकों में भी बुरा हाल है। पंजाब तो डूब ही गया है। यूपी-हरियाणा में इलाके जलमग्न हो रहे हैं। पानी की निकासी का समुचित प्रबंध नहीं है। नालों की सफाई ढंग से नहीं हुई है। अधिकतर जगहों तो चार चार इंजन की सरकार है। केंद्र और राज्य सरकार तो एक दल की है ही, विधायक और मेयर भी उसी दल का है। जहाँ जितने इंजन की सरकार, वहीं उतना ही बुरा हाल। जरा सी बारिश से लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं। देश के अधिकांश इलाकों में बाढ़ आ रही है। खूब जान माल का नुकसान हो रहा है। ऐसे में सरकार जी ने चीन से लौट कर मन की बात कही। मतलब चीन से लौट कर, बिहार के कार्यकर्ताओं से मन की बात कही। सरकार जी ने बाढ़ में डूबी जनता से, पूरे देश में प्राकृतिक आपदाओं से त्रस्त जनता से नहीं सिर्फ बिहार वालों से वर्चुअल बातचीत कही और अपने दिल का दर्द बयां किया- आपको पता है कि मेरी मां को गाली दी गई। गाली उस व्यक्ति के मंच से दी गई जिसकी मां को मैं जर्सी गाय कह कर पुकारता हूं। जिसकी मां को मैं कहता हूँ कि वह कांग्रेस की विधवा है। और जिसकी पार्टी को मैं सवा सौ साल की बुढ़िया कहता हूँ। उस शहजादे ने मेरी मां को गाली दी। उसको बिहार कभी भी माफ नहीं करेगा। भाइयों और बहनों, मेरी मां को गाली उस मंच से दी गई जिस से उसको भाषण करना था। वह व्यक्ति वह है जिसके दल की एक महिला सांसद को मैंने भरी सभा में सूर्पणखा कहा था। जिसके एक सांसद की पत्नी को मैंने स्वयं पचास करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था। जिसकी मां को मेरे दल के लोगों ने वैश्या और बार बाला की गाली दी थी। उस व्यक्ति के मंच से, उसकी अनुपस्थिति में, मेरी मां को गाली दी गई। कितनी घिनौनी बात है। भाइयों और बहनों, मेरी रग रग में माताओं, बहनों के लिए बहुत अधिक सम्मान है। और अपनी मां के लिए तो और ज्यादा सम्मान है। आपने देखा ही था कि जब वे जीवित थीं तो मैं उनसे मिलने कितने कितने फोटोग्राफरों के साथ जाता था। और उनके सम्मान में, अगले ही दिन अपने साथ उनकी फोटो अखबारों में छपवाता था। इतना सम्मान और प्यार है उनके लिए कि नोटबंदी के समय उनको भी लाइन में लगवा दिया था। अपनी मां का इतना सम्मान तो कभी किसी ने भी नहीं किया है, जितना मैंने किया है। किसी भगवान ने भी नहीं। मैंने अपनी मां को इतना सम्मान दिया कि अपनी मां की मृत्यु के बाद अपनी मां की कोख को ही नकार दिया। अपने को नॉन बायोलॉजिकल बता दिया। मैं और मेरा दल तो मां का बहुत अधिक सम्मान करता है। और सिर्फ मां का ही नहीं, उसके बलात्कारियों का भी सम्मान करता है। बिलकिस बानो भी एक मां थी। मेरे दल की सरकार ने उससे बलात्कार करने वालों को सच्चरित्र होने का प्रमाणपत्र दिया और जेल से जल्दी रिहा किया।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने वन्दना ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, साउथ पीसमपुरा एक्स, दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/37क, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/0882)

## न्यायालय में 13 वर्षों से लंबित सिविल वाद का मध्यस्थता से सफल निपटारा

देवरिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विवाद समाधान की दिशा में एक बार फिर महत्वपूर्ण पहल की गई है। बुधवार को मध्यस्थता एवं सुलह समझौता केन्द्र (ए.डी.आर. भवन) में 13 वर्षों से लंबित सिविल वाद संख्या-522/2012 रामआसरे बनाम किशनावती का मामला सफलतापूर्वक निस्तारित किया गया। यह मामला सिविल जज (जू.डी.), कक्ष संख्या-26, देवरिया द्वारा मध्यस्थता के लिए प्राधिकरण को संदर्भित किया गया था। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मनोज कुमार तिवारी के नेतृत्व में मध्यस्थ अशोक कुमार मिश्र की सक्रिय भूमिका से दोनों पक्षों में संवाद स्थापित किया गया। वर्षों से चल रहे विवाद को बातचीत के माध्यम से समाप्त करते हुए पक्षकारों ने सहमति जताई और मामला आपसी समझौते से निपटा लिया। सचिव मनोज कुमार तिवारी ने कहा कि मध्यस्थता विवादों को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रभावी माध्यम है। इससे न केवल समय और धन की बचत होती है, बल्कि पक्षकारों के बीच संबंधों को बनाए रखने में भी मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता में कोई हारता नहीं है, बल्कि दोनों पक्ष अपने अधिकारों को समझते हुए समाधान तक पहुँचते हैं। इस अवसर पर सचिव ने आम नागरिकों और विधि व्यवसायियों से अपील की कि वे अपने लंबित मामलों को मध्यस्थता के लिए न्यायालय से संदर्भित कराएं और राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान का लाभ उठाकर विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान करें।

# सपा की सरकार आएगी तो किसानों को मिलेगा न्याय- तेज प्रताप यादव

**रामकोला में समाजवादी पार्टी के द्वारा आयोजित हुआ किसान शहीद दिवस शाहिद किसानों को दी गई श्रद्धांजलि**

रामकोला, कुशीनगर । लगातार 33 वें वर्ष रामकोला में समाजवादी पार्टी के द्वारा किसान शहीद दिवस का आयोजन किया गया जिसमें जमादार मियां और पडोही हरिजन को याद करते हुए उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। हजारों की संख्या में उपस्थित समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं तथा किसानो की उपस्थिति में करहल के विधायक एवं पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव ने कहा कि हम किसानों की शहादत को कभी भी भूल नहीं पाएंगे और जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी किसानों के साथ न्याय किया जाएगा। इस अवसर पर दिल्ली के प्रोफेसर अवध ओझा बतौर विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम को पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह, पूर्व मंत्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी,पूर्व विधान परिषद सदस्य राम अवध यादव,, पूर्व पूर्व जिला अध्यक्ष इलियास अंसारी, पूर्व प्रत्याशी विधानसभा पडरौना राजेंद्र उर्फ मुन्ना यादव, ,पूर्व ब्लाक प्रमुख विक्रम यादव, आदि ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष चंद्रप्रकाश यादव,आमिरूल्लाह अंसारी, युवा नेता लव कुश यादव, मोहम्मद आजम, बजरंगी पहलवान सहित हजारों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

# पुलिस और पशु तस्करों का मुठभेड़ ,तीन गौतस्कर घायल

तमकुही राज कुशीनगर । अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में बुधवार को थाना पटहेरवा को पशु तस्करी के होने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल योजना बनाते हुए पुलिस टीमों का गठन किया गया जिसमें थाना पटहेरवा, थाना कसया, थाना रामकोला, थाना खड्डा, थाना तरयासुजान, थाना तमकुहीराज व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा थाना पटहेरवा क्षेत्रान्तर्गत पटहेरिया समऊर रोड स्थित बलुआ शमशेर शाही के समीप घेराबंदी कर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक कन्टेनर वाहन आते दिखाई दिया, जिसको पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो वाहन पर सवार व्यक्तियों द्वारा लक्ष्य साधकर पुलिस टीम पर जान मारने की नियत से फायर किया गया। जवाबी प्रतिरक्षा में पुलिस टीम द्वारा फायरिंग की गयी, तो कन्टेनर चालक सहित तीन गौवस्कर गन्ने के खेत में फरार हो गये तथा गन्ने की आड़ से पुलिस टीम पर फायरिंग करने लगे । जवाबी कार्रवाई के दौरान तीनों गौतस्कर पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गये, जिनकी पहचान जब्बार पुत्र शरीफ लौहार निवासी भवन थाना शमशाबाद जिला आगरा, फैजान पुत्र बाबू कुरैसी निवासी घेर मर्दान खाँ थाना कोतवाली जनपद रामपुर, नईम पुत्र रईस अहमद बंजारा निवासी काशीपुर थाना गंज जनपद रामपुर के रुप में हुई। मौके/ कब्जे से 26 राशि गौवंश, एक अदद कन्टेनर वाहन, 03 अदद अवैध तमन्चा .315 बोर मय 06 अदद जिन्दा कारतूस, 06 अदद खोखा कारतूस, एक अदद लकडी का ठीहा, एक अदद बांका, एक एंड्रायड फोन, 2000/- रुपया नगद आदि बरामद किया गया है।अभियुक्तों ने पूछ-ताछ मे बताया गया कि हमलोगों का एक संगठित गिरोह है। जो विभिन्न जनपदों से गोवंशीय पशुओं को वाहन पर क्रूरतापूर्वक लाद कर वध हेतु बिहार ले जाते है। गौकशी कर अवैध धन अर्जित करते हैं।इस संबंध में पटहेरवा थानाध्यक्ष विनय कुमार मिश्र ने बताया कि मुठभेड़ में तीन गौतस्कर घायल हुए है।जिनको पुलिस अभिरक्षा में दवा इलाज कराया जा रहा है।बरामदगी और गिरफ्तारी के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।

## जीएसटी की दरो को कम किए जाने पर प्रधानमंत्री के प्रति उद्योग व्यापार मंडल ने जताया आभार



पडरौना, कुशीनगर। जीएसटी के कई स्लैब को खत्म कर सिर्फ दो स्लैब किए जाने व आमजन के लिए उपयोगी उत्पादों पर जीएसटी की दरें को कम किए जाने उपलक्ष में पडरौना नगर के होटल शिवराम पैलेस में उद्योग व्यापार मंडल व भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार कार्यक्रम का आयोजन हुआ । कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक मनीष जायसवाल रहे। श्री जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार आमजन की हर सुख सुविधाओं का ख्याल रख रही है। इसी उद्देश्य से जीएसटी में दरो को कम किया गया है ।आमजन के लिए जितनी भी जरूरी उत्पाद है उन सभी की जीएसटी दरें कम की गई है। साथ ही जीएसटी का दो वर्ग किए जाने से व्यापारियों को अब व्यापार करने में काफी सहूलियतें मिलेगी। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत को 2047 तक विकसित बनाने में सभी का सहयोग जरूरी है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश मंत्री व भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के जिला संयोजक जगदंबा प्रसाद अग्रवाल ने कार्यक्रम को संचालन करते हुए सभी का स्वागत किया व जीएसटी की दरों को कम किए जाने को लेकर प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया। कार्यक्रम के दौरान स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया गया जिस पर सभी व्यापारियों ने संकल्प लिया कि हम स्वदेशी का उपयोग करेंगे। कार्यक्रम को व्यापार मंडल के चेयरमेन दीपनारायण अग्रलालोवाल , नगर अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवाल ने संबोधित किया। इस अवसर पर नगर उपाध्यक्ष गण प्रदीप चहरिया,योगेन्द्र जायसवाल एवं जगदम्बा टिबरेवाल उर्फ संजय,नगर मंत्री गण सतीश जिन्दल, अजय कुमार सराफ, प्रमोद कुमार गुप्ता* नगर संगठन मंत्री गण रजनीश कुमार रूंगटा ,आशीष अग्रवाल एवं राजेश कुमार जायसवाल* नगर सह विधि सलाहकार ** आदित्य बंका मीडिया प्रभारी संजय कुमार मारोदिया,नगर सोशल मीडिया प्रभारी अमन बंका नगर कार्यसमिति सदस्य गण प्रकाश टिबरेवाल, राजपाल गुप्ता, मनीष सोनथालिया, अरुण तुलस्यान, सौरभ सराफ, अनिमेष जायसवाल एवं पिंटू शाह नगर युवा तहसील अध्यक्ष आदित्य अग्रवाल* नगर युवा अध्यक्ष विवेक कुमार अग्रवाल नगर युवा महामंत्री चंचल जायसवाल नगर युवा प्रचार मंत्री विश्वास गुप्ता भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ कुशीनगर के जिला महामंत्री संजय जायसवाल सहित तमाम व्यापारी गण उपस्थित रहे।

# आई0जी0आर0एस0 की आयोजित हुई बैठक

**बैठक में आने से पूर्व तैयारी कर के आएं अधिकारीगणः डीएम**

**अधिकारीगण स्वयं फीड बैक की रिपोर्ट देखे- डीएम**

कुशीनगर। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में आईजीआरएस सहित विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों/प्रकरणों के निस्तारण में असंतुष्ट फीडबैक से सम्बन्धित अधिकारियों के साथ आवश्यक बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में की गई। आईजीआरएस समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि आईजीआरएस मामलों के निस्तारण में विगत माह से अच्छा प्रदर्शन हुआ है,फिर भी जनपद की रैंकिंग बहुत ही खराब है,इसमें और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। उन्होंने सभी को निर्देशित किया कि संदर्भों के निस्तारण में स्थलीय निरीक्षण कर पारदर्शिता एवं गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें ताकिजनपद की रैंकिंग में सुधार लाई जा सके। जिलाधिकारी ने बैठक दौरान आईजीआरएस से संबंधित कितने मामलों में संतुष्ट और कितने मामलों में असंतुष्ट फीड के संबंध में मत्स्य अधिकारी से पुछ ताछ की गई जिस जिसमें 07 मामलों में सभी का फीड बैक असंतुष्ट मिला,मत्स्य अधिकारी द्वारा कुछ भी नहीं बताने पर वेतन रोकने सहित उनके विरुद्ध शासन को पत्र लिखे जाने हेतु अपर जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया।

ईओ दुदही के 10 मामलों में 7 का फीड बैक असंतुष्ट पाए जाने पर कार्यों में सुधार लाए जाने का निर्देश दिए गए। इसी प्रकार सीएमओ के 98 मामलों में 66 का फीड बैक असंतुष्ट,उपायुक्त उद्योग का 17 में 10 असंतुष्ट, डीडीओ का 208 में 120 असंतुष्ट, ईओ पडरौना का 6 असंतुष्ट, सहित सभी विभागों द्वारा निस्तारित किए गए मामलों में असंतुष्ट फीड बैक के संबंध में पुछ ताछ कर आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि जो मामले आईजीआरएस के नहीं है परंतु प्रत्येक दिन आप द्वारा प्राप्त आवेदनों को निस्तारित किया जाता है उसे भी इसमें सम्मिलित करते हुए आईजीआरएस कराएं ताकि फीड बैक का प्रदर्शन हो सके। जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा कि शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निरस्तारण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा कि मा0 मुख्यमंत्री जी फरियादियों/ शिकायतकर्ताओं की संतुष्टि के प्रति बेहद गम्भीर है, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करके रिपोर्ट को पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि आगामी बैठकों में अधिकारीगण शिकायतों संबंधी समस्त विवरण साथ में लाएं ताकि आवश्यकतानुसार निस्तारण आख्या का अवलोकन भी किया जा सके। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण प्रक्रिया के दौरान शिकायतकर्ता का पक्ष भी अवश्य सुना जाए और सदंर्भो के निस्तारण के परिणाम से भी शिकायतकर्ता को अवगत कराया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आईजीआरएस का पैरामीटर बदल गया है असंतुष्ट फीडबैक वाले प्रकरणों को सही ढंग से निस्तारण कराए। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा, नवागत मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा0 चंद्र प्रकाश, उपायुक्त उद्योग अभय कुमार सुमन,जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रामजियावन मौर्य, डीपीआरओ आलोक प्रियदर्शी,उप कृषि निदेशक अतिंद्र सहित अन्य संबंधित जनपदीय अधिकारी एवं समस्त ईओ आदि उपस्थित रहे।

## कर्मचारी पर दस लाख गबन का आरोप, मुकदमा दर्ज

तमकुही राज कुशीनगर । क्षेत्र के नगर पंचायत फाजिलनगर के एक अल्ट्रासाउंड के मालिक ने अपने एक कर्मचारी पर करीब दस लाख रुपये गबन करने व मांगने पर जानमाल की धमकी देने का आरोप लगाते हुये न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज कराया है।पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। अल्ट्रासाउंड के मालिक उमेश पांडेय निवासी अमरवा ने न्यायिक मजिस्ट्रेट कसया के न्यायालय में एक प्रकीर्णवाद दाखिल कर कहा उनका हास्पिटल रोड फाजिलनगर में अल्ट्रासाउंड है।जहां दिवाकर कुमार मिश्र निवासी गांव पुरैना थाना विजयीपुर जिला गोपालगंज( बिहार) बतौर कर्मचारी के रूप में काम करते थे।2021 के बाद से वह ही अल्ट्रासाउंड के आय-व्यय रखते थे।बीच में कई बार उनसे आय-व्यय की हिसाब करने को कहा गया तो वह ?-1.40 लाख रुपये ऑनलाइन मेरे खाते में भेजे और परिवार परेशानियां बताते हुये कहा कि समय निकाल कर हिसाब कर लिया जायेगा।जब हिसाब किया गया तो उक्त दिवाकर कुमार मिश्र पर ?-1026676 की देनदारी निकली।वह स्वीकार किया कि वह किस्तों में उक्त धन को लौटा देंगे।लेकिन बाद में वह धन वापस नही किये।29 जून 2025 को जब दिवाकर कुमार मिश्र अपने दो तीन साथियों नाम पता अज्ञात के साथ बघौचघाट तिराहे पर एक मिष्ठान के दुकान पर मिले तो उनसे अपनी बकाया धनराशि के सबंध में पूछताछ किया तो वह उनके साथ साथियों सहित मारपीट व अपशब्द बोलने लगे।कहे कि अब तुम्हे कोई धन नही देना है।जो करना हो वह कर लो।इसके बाद जानमाल सहित विभिन्न प्रकार की धमकी देने लगे।न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुये दिवाकर कुमार मिश्र सहित उनके तीन चार अज्ञात साथियों के विरुद्ध गबन सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।थानाध्यक्ष विनय कुमार मिश्र ने बताया है कि न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाई की जा रही है।

# चुनाव आयोग तानाशाह- राहुल गांधी

## कांग्रेस का देशभर में वोट चोर, गद्दी छोड़ अभियान तेज

### राहुल बोले- भाजपा-आरएसएस वाले ओबीसी को बढ़ने नहीं दे रहे

रायबरेली ।

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को अपने रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करते हुए कहा कि वोट चोर, गद्दी छोड़ का नारा पूरे देश में साबित हो रहा है और कांग्रेस पार्टी इसे बार-बार, और भी नाटकीय तरीकों से साबित करती रहेगी। इस बीच, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राहुल गांधी के निर्वाचन क्षेत्र में ही एक रैली निकालकर कांग्रेस नेता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। रायबरेली में राहुल गांधी ने प्रजापति समाज के सम्मेलन में भाजपा और आरएसएस को निशाने पर लिया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा- देश में 90 फीसदी आबादी ओबीसी, दलित और आदिवासियों की है। लेकिन ये भाजपा-आरएसएस के लोग नहीं चाहते कि ये कभी आगे बढ़ें। ये चाहते हैं कि दलित वहीं पर रहें, अंबानी जहां हैं वहीं पर रहें। प्रधानमंत्री मोदी खुद ओबीसी हैं, लेकिन जाति जनगणना पर कुछ नहीं बोलते। मैंने संसद में इसपर सवाल किया तो वे डेढ़ घंटे तक भाषण देते रहे लेकिन जाति जनगणना पर एक भी शब्द नहीं बोले। बुधवार सुबह साढ़े 8 बजे राहुल गांधी दिल्ली स्थित अपने आवास से रायबरेली के लिए रवाना हुए। दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट लेकर लखनऊ पहुंचे और वहां से सड़क मार्ग से रायबरेली पहुंचे। रास्ते में राहुल गांधी के काफिले को विरोध का सामना करना पड़ा। पीएम को गाली देने मामले को लेकर योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह अपने समर्थकों के साथ राहुल के रास्ते में धरने पर बैठ गए। राहुल वापस जाओ के नारे लगाए। विरोध प्रदर्शन के चलते राहुल का काफिला करीब 1 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया। पुलिस, मंत्री दिनेश सिंह को उठाने पहुंची तो भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ धक्कामुक्की भी हुई। इस दौरान राहुल का काफिला 5 मिनट रुका रहा। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह वही हैं, जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ा था। राहुल, बटोही रिसॉर्ट में अपने पहले कार्यक्रम में पहुंचे। जहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा- पहले लोग कहते थे कि दाल में जरूर कुछ काला है। लेकिन किसी के पास कोई सबूत नहीं थे। अब सबूत हैं। वोट चोरी हो रही है। इसे रोकना होगा। विरोध के बाद भी चुनाव आयोग तानाशाही कर रहा है।

# गांधी के कारण बची है मोदी सरकार!

### नेपाल पर बोले संजय राउत- भारत में भी बिगड़ सकते हैं हालात

मुंबई । नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बीच, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) सांसद संजय राउत ने बुधवार को भारत में भी ऐसी ही घटना होने के प्रति आगाह किया। राउत ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार, तानाशाही और भाई-भतीजावाद के खिलाफ नेपाल में जो आग लगी है, वह भारत में भी भड़क सकती है, लेकिन हिंसा न होने का कारण यह है कि लोग महात्मा गांधी की अहिंसक विचारधारा में विश्वास करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार गांधी की विचारधारा के कारण ही जीवित है। राउत ने एएनआई से कहा कि अगर यह चिंगारी भारत में आती है, तो भारत एक बड़ा देश है, वह भारत जो आज तक सिर्फ इसलिए जीवित है क्योंकि महात्मा गांधी यहाँ पैदा हुए थे, आज भी लोग गांधी में विश्वास करते हैं, इसीलिए ये लोग जीवित हैं। आप गांधी को चाहे जितना भी गाली दें, मोदी जी, आपकी सरकार गांधी की विचारधारा के कारण ही जीवित है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देते हैं, इसका क्या मतलब है? गरीब अभी भी वहीं है, नेपाल का भी यही हाल था। भारत का पैसा विदेश जा रहा है। किसी का बेटा दुबई में बैठा है, किसी का बेटा सिंगापुर में, कोई क्रिकेट चेयरमैन बन गया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर विदेश नीति में विफलता का आरोप लगाते हुए कहा कि भारत ने अपने पड़ोसी की उस समय मदद नहीं की जब उसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उन्होंने कहा कि नेपाल कभी हमारा दोस्त था, नेपाल भारत को बड़ा भाई मानता था, जब नेपाल पर संकट आया, तो बड़ा भाई उनके साथ खड़ा नहीं हुआ, यह हमारी विदेश नीति की विफलता है। यहाँ का युवा आज चुप दिख रहा है, बेरोजगारी है, बहुत सारी समस्याएँ हैं। इससे पहले 9 सितंबर को, राउत ने नेपाल में छात्रों के नारे लगाते हुए विरोध मार्च का एक वीडियो रीपोस्ट किया था।

# आप विधायक मेहराज मलिक की गिरफ्तारी राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहुंचे जम्मू

जम्मू। जम्मू कश्मीर की सियासत में इस समय बड़ी हलचल चल रही है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह आज जम्मू पहुंचे है। गौरतलब है कि जिला डोडा में आम आदमी पार्टी के विधायक व जम्मू कश्मीर स्टेट प्रेसिडेंट मेहराज मलिक पर डीसी डोडा ने पीएसए लगाकर उनको कठुआ जेल में भेजा हुआ है। उसी को देखते हुए आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह आज जम्मू पहुंचे है। बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायक मेहराज मलिक को गिरफ्तार किए जाने के बाद पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जम्मू में प्रदर्शन कर रहे है। उन्होंने मांग की है कि अगर मेहराज मलिक को जल्द से जल्द रिहा न किया गया और उनके ऊपर से पीएसए नहीं हटाया गया तो आम आदमी पार्टी इसी तरह प्रदर्शन करती रहेगी।

# बंगाली में और ज्यादा बोलो, डरने की जरूरत नहीं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया आह्वान



जलपाईगुड़ी (पश्चिम बंगाल) । पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को जनता से आग्रह कि वे बंगाली में ज्यादा बोलें और डरें नहीं। उनका यह बयान राज्य के प्रवासी मजदूरों पर हो रहे कथित हमलों की पृष्ठभूमि में आया है। बनर्जी ने कहा, बंगाली में ज्यादा बोलें, डरो मत। हम स्पष्ट कहना चाहते हैं कि हम अपनी मातृभाषा यानी बंगाली ही बोलेंगे। लेकिन हम दूसरी भाषाओं का भी सम्मान करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जो प्रवासी मजदूर वापस बंगाल लौटेंगे, उन्हें सरकार की ओर से पांच हजार रुपये दिए जाएंगे और उनके बच्चों को नजदीकी स्कूल में दाखिला मिल सकेगा। जलपाईगुड़ी में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, मैं रोज अपमान झेलती हूं, क्योंकि मैं बंगाल का विकास चाहती हूं। नेपाल की स्थिति पर ममता बनर्जी ने कहा, नेपाल में फंसे पर्यटकों की स्थिति को मैं गंभीरता से ले रही हूं। मैं उन्हें यह कहना चाहती हूं कि जब तक हालात सामान्य न हो जाएं, वे थोड़ा इंतजार करें। हम इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं और जल्द ही आप सभी को वापस लाया जाएगा।

# बिना नाम लिए मोदी-शाह पर खड़गे का वार, बोले- ये दोनों नहीं चाहते संविधान सुरक्षित रहे

नई दिल्ली । कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि दोनों ही भारतीय संविधान की रक्षा नहीं करना चाहते और न ही लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। आज दोपहर गुजरात के जूनागढ़ पहुंचे खड़गे ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि विपक्ष का मुख्य उद्देश्य संविधान और लोकतंत्र को बचाना है। खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव लड़ना आम बात है। हमारा मुख्य लक्ष्य संविधान को बचाना और लोकतंत्र की रक्षा करना है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि जिस धरती पर महात्मा गांधी और वल्लभभाई पटेल जैसे लोगों ने जन्म लिया और देश को आज़ादी दिलाई - ये दोनों हमारे लिए अत्यंत सम्माननीय हैं। देश उनकी वजह से एकजुट है। हालांकि, दो अन्य लोग नहीं चाहते कि संविधान सुरक्षित रहे। वे लोकतंत्र को भी नहीं बचाना चाहते। उपराष्ट्रपति चुनाव पर बोलते हुए खड़गे ने कहा, -हमारे पास बहुमत नहीं था, हमें जितने वोट मिले, उतने ही मिले। इससे पहले दिन में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि क्रॉस वोटिंग की कथित संभावना की विपक्षी गठबंधन के प्रत्येक घटक द्वारा व्यवस्थित जांच की जानी चाहिए। तिवारी ने एएनआई को बताया, अगर क्रॉस-वोटिंग हुई है, तो इंडिया अलायंस के प्रत्येक घटक दल द्वारा इसकी गंभीरता से जाँच की जानी चाहिए। क्रॉस-वोटिंग एक बेहद गंभीर मामला है। अगर आप जो कह रहे हैं वह सही है या जो सार्वजनिक रूप से सामने आ रहा है या जिसके बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं, उसमें ज़रा भी सच्चाई है, तो इसकी व्यवस्थित और गहन जाँच होनी चाहिए।-उनकी यह टिप्पणी केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा हाल ही में संपन्न उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया ब्लॉक के सांसदों द्वारा क्रॉस-वोटिंग की संभावना को लेकर विपक्ष पर अंतरात्मा की आवाज़ से कटाक्ष करने के बाद आई है, जिसमें एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन विजयी हुए थे।

# बक्सर-भागलपुर हाईस्पीड कॉरिडोर के तहत मोकामा-मुंगेर खंड के निर्माण को मंजूरी, 4447 करोड़ होंगे खर्च

नई दिल्ली । चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बिहार को बड़ा तोहफा दिया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार (10 सितंबर 2025) को बिहार और पड़ोसी राज्यों में कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 7,616 करोड़ रुपये की दो बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है. इन मंजूरी के साथ अब तक मोदी सरकार बिहार को 11 लाख करोड़ रुपये के प्रस्तावों की मंजूरी दे चुकी है.

**मोकामा से मुंगेर तक 4 लेन हाईवे को मंजूरी**

मोदी कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की ब्रीफिंग करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 3,169 करोड़ रुपये की लागत से भागलपुर-दुमका-रामपुरहाट रेल लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी गई है. इसके अलावा 4,447 करोड़ रुपये की लागत से बक्सर-भागलपुर हाई-स्पीड कॉरिडोर के फोर लेन के मोकामा-मुंगेर खंड के निर्माण को मंजूरी दी गई है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, यह बक्सर से भागलपुर कॉरिडोर का एक खंड है. इसका निवेश 4,447 करोड़ रुपये होगा. यह दक्षिणी बिहार का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है. इसकी लंबाई मोकामा से मुंगेर तक 82 किलोमीटर है. इस प्रोजेक्ट के कारण लगभग 1 घंटे का समय बचेगा.



**भागलपुर से रामपुरहाट तक डबल ट्रैक का ऐलान**

केंद्रीय मंत्री ने बताया, कैबिनेट ने भागलपुर-दुमका-रामपुरहाट रेलवे लाइन खंड (177 किलोमीटर) के दोहरीकरण को मंजूरी दी, जिसकी कुल लागत 3,169 करोड़ रुपये है. यह बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, आजादी के बाद रेलवे कार्गो लगातार घट रहा था. 27 फीसदी के निचले स्तर पर पहुंचने के बाद अब यह बढ़ने लगा है. अब मॉडल शेयर लगभग 29 फीसदी तक पहुंच गया है. प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल में स्वीकृत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की कुल संख्या लगभग 11 लाख करोड़ रुपये की है, जो एक महत्वपूर्ण बदलाव है. उन्होंने कहा कि इससे रोजगार बढ़ रहा है और लोगों के जीवन में बदलाव हो रहा है. बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा के चुनाव होने हैं. उससे पहले ऐसी घोषणाओं को लेकर न्यूज की ओर से पूछे गए सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने 12 से ज्यादा प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन दिया और यह बताया कि उन राज्यों के प्रोजेक्ट भी मंजूर किए गए हैं, जहां चुनाव नहीं है.

# उद्धव ने फिर की राज ठाकरे से मुलाकात



मुंबई । शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बुधवार को अपने चचेरे भाई और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरे से मुलाकात की। दोनों दलों के बीच गठबंधन की चर्चा के बीच दादर इलाके में स्थित राज ठाकरे के आवास शिवतीर्थ में अहम बैठक हुई। पिछले दो हफ्तों में दोनों चचेरे भाइयों के बीच यह दूसरी सार्वजनिक मुलाकात है। उद्धव पिछले महीने गणेश उत्सव के अवसर पर शिवतीर्थ गए थे। दोनों ने 5 जुलाई को सरकार की त्रिभाषा नीति के खिलाफ मुंबई में अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए एक मंच साझा किया था। महाराष्ट्र सरकार ने मराठी भाषी बहुल राज्य में हिंदी थोपने के आरोपों के बीच कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए त्रि-भाषा फॉर्मूले पर अपने विवादास्पद आदेश को वापस ले लिया था। इसके बाद जुलाई के अंत में राज ने उद्धव ठाकरे को उनके जन्मदिन की शुभकामना देने के लिए उपनगरीय बांद्रा स्थित उनके आवास मातोश्री का दौरा किया था। हालांकि, राज ने 2005 में अविभाजित शिवसेना छोड़ दी थी और इसके लिए उद्धव को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन 2024 के विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टियों की करारी हार ने दोनों प्रतिद्वंद्वियों को अपने रिश्ते सुधारने के लिए मजबूर किया। दोनों पार्टियों ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के चुनाव समेत आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए गठबंधन बनाने के संकेत दिए हैं। हालांकि, अब तक औपचारिक गठबंधन की घोषणा नहीं हुई है। अगर ऐसा होता है, तो भाजपा इसकी मुख्य प्रतिद्वंद्वी होगी।

# आजम खान को डूंगरपुर कांड में मिली जमानत

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को रामपुर के डूंगरपुर कांड में जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने पिछले 12 अगस्त को बहस के बाद फैसला सुरक्षित रखते हुए यह फैसला सुनाया। रामपुर के चर्चित डूंगरपुर कांड से जुड़े एक मामले में रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा दी गई 10 साल की सजा के खिलाफ आजम खान ने हाईकोर्ट में आपराधिक अपील दायर की थी। इस मामले में, ठेकेदार बरकत अली ने भी सजा के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में आपराधिक अपील दायर की है। दोनों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील लंबित रहने तक जमानत देने की मांग की थी। इस मामले में, ठेकेदार बरकत अली को भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई थी। दोनों की आपराधिक अपील पर उच्च न्यायालय में एक साथ सुनवाई चल रही है। 30 मई, 2024 को रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान को दस साल की सजा सुनाई थी। आजम खान ने इस सजा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। इस मामले में बरकत अली ठेकेदार को सात साल की सजा सुनाई गई थी। डूंगरपुर मामले में, अबरार नाम के एक व्यक्ति ने अगस्त 2019 में रामपुर के थाना गंज में सपा नेता आजम खान, सेवानिवृत्त सीओ आले हसन खान और ठेकेदार बरकत अली उर्फ मोहम्मद समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

# नेपाल अब सेना के कंट्रोल में

## फिर भी हिंसा जारी, सुप्रीम कोर्ट में खाक हुईं 25 हजार फाइलें; 27 उपद्रवी गिरफ्तार



### सेना ने लगाया देशव्यापी कर्फ्यू, प्रदर्शनकारियों को सख्त चेतावनी

नई दिल्ली । नेपाली सेना ने विरोध प्रदर्शन की आड़ में किसी भी संभावित हिंसा को रोकने के लिए बुधवार को सुबह से शाम पांच बजे तक देशव्यापी प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए और अगले दिन सुबह छह बजे तक कर्फ्यू लगा दिया है। सेना ने एक बयान में चेतावनी दी कि इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के प्रदर्शन, तोड़फोड़, आगजनी व व्यक्तियों या संपत्ति को निशाना बनाने वाले हमलों को आपराधिक गतिविधि माना जाएगा और उससे निपटा जाएगा। इसमें कहा गया है कि प्रतिबंधात्मक आदेश पूरे देश में सुबह से शाम पांच बजे तक प्रभावी रहेंगे और उसके बाद बृहस्पतिवार सुबह छह बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। सेना ने कहा कि प्रदर्शन की आड़ में लूटपाट, आगजनी और अन्य विनाशकारी गतिविधियों की संभावित घटनाओं को रोकने के लिए ये कदम ज़रूरी हैं।

बयान में कहा गया है, ''बलात्कार और हिंसक हमलों का भी खतरा है। देश की सुरक्षा स्थिति को ध्यान में रखते हुए, प्रतिबंधात्मक आदेश और कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। बयान में स्पष्ट किया गया है कि एम्बुलेंस, दमकल, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और सुरक्षा बलों सहित आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों और कर्मियों को प्रतिबंधात्मक आदेशों और कर्फ्यू के दौरान काम करने की अनुमति होगी। भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर सरकार के प्रतिबंध के खिलाफ सोमवार को 'जेन-जी द्वारा किए गए प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई में कम से कम 19 लोगों की मौत के बाद सैकड़ों प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे की मांग को लेकर उनके कार्यालय में घुस गए थे जिसके तुरंत बाद मंगलवार को उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध सोमवार रात हटा लिया गया था। हालांकि, उनके इस्तीफे के बाद भी प्रदर्शन जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने संसद, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमंत्री आवास, सरकारी इमारतों, राजनीतिक दलों के कार्यालयों और वरिष्ठ नेताओं के घरों में आग लगा दी थी।

# फ्रांस में भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन



**1 लाख लोग सड़कों पर, कई जगह आगजनी; 80 हजार पुलिसकर्मी तैनात, 200 उपद्रवी गिरफ्तार**

पेरिस।

नेपाल के बाद अब फ्रांस में भी सरकार के विरोध में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। बजट में कटौती के खिलाफ और राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के इस्तीफे की मांग को लेकर 1 लाख से ज्यादा लोग बुधवार को सड़क पर आ गए। गृह मंत्री ब्रूनो रेतेयो ने बताया, प्रदर्शनकारियों ने रेन शहर में एक बस को आग लगा दी। दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र में एक बिजली लाइन को नुकसान पहुंचने के बाद ट्रेन सेवाएं रोक दी गईं।

गृह मंत्री ने प्रदर्शनकारियों पर विद्रोह का माहौल बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। फ्रांस बंद का आह्वान लेफ्ट पार्टियों ने किया है। इस प्रदर्शन को ब्लॉक एवरीथिंग नाम दिया गया। सरकार ने 80 हजार पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया है। अब तक 200 से ज्यादा उपद्रवी गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

**प्रदर्शन की 4 वजह**

**राष्ट्रपति मैक्रों की नीतियां**- जनता के एक बड़े वर्ग को लगता है कि मैक्रों की नीतियां आम लोगों के हितों के खिलाफ हैं और अमीर वर्ग को फायदा पहुंचाती हैं।

**बजट में कटौती**- सरकार ने खर्चों में कटौती, कल्याणकारी योजनाओं में कमी और आर्थिक सुधार लागू किए हैं। इससे आम जनता खासकर मध्यमवर्ग और श्रमिक वर्ग पर दबाव बढ़ा है।

**2 साल में 5 पीएम**- हाल ही में सेबास्टियन लेकोर्नू को प्रधानमंत्री बनाया गया है। यह दो साल से भी कम समय में पांचवें प्रधानमंत्री हैं। इससे लोगों में अस्थिरता और असंतोष बढ़ गया है। प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि उनकी नियुक्ति की शुरुआत से ही सरकार पर दबाव बनाया जाए।

**ब्लॉक एवरीथिंग आंदोलन**- वामपंथी गठबंधन और जमीनी संगठनों ने इस नारे के साथ आंदोलन शुरू किया है ताकि देशव्यापी उग्र की स्थिति पैदा करके सरकार को झुकने पर मजबूर किया जा सके।

ये प्रदर्शन ऐसे समय हो रहे हैं। जब फ्रांस के नए प्रधानमंत्री, सेबास्टियन लेकोर्नू अपना कार्यभार संभालने जा रहे हैं। एक दिन पहले फ्रांस्वा बायरू ने अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को अपना इस्तीफा सौंप दिया था।

# फर्जी खबरों पर लगाम लगाने की तैयारी, संसदीय समिति ने की दंडात्मक प्रावधान में संशोधन की सिफारिश

नई दिल्ली । सरकार ने फर्जी खबरों पर लगाम लगाने की तैयारी की है। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने फर्जी खबरों को सार्वजनिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए खतरा बताया है। समिति ने फर्जी खबरों से निपटने के लिए दंडात्मक प्रावधानों में संशोधन, जुर्माना बढ़ाने और जवाबदेही तय करने की सिफारिश की है। समिति ने सभी प्रिंट, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थानों में फैक्ट चेक तंत्र और आंतरिक लोकपाल की तैनाती की भी मांग की है। सूत्रों के हवाले से पीटीआई ने बताया कि समिति ने फर्जी खबरों की चुनौती से निपटने के लिए सरकारी, निजी और स्वतंत्र तथ्य-जांचकर्ताओं सहित सभी हितधारकों के बीच सहयोगात्मक प्रयास सहित कई सुझाव दिए हैं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की अध्यक्षता वाली समिति ने रिपोर्ट को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। समिति की सिफारिशों में कहा गया है कि समिति सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से यह सुनिश्चित करने की इच्छा रखती है कि देश के सभी प्रिंट, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठनों में तथ्य-जांच तंत्र और आंतरिक लोकपाल को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। अगले सत्र में इस रिपोर्ट को संसद द्वारा पारित किए जाने की संभावना है। रिपोर्ट में संपादकीय नियंत्रण के लिए संपादकों और विषय-वस्तु प्रमुखों को, संस्थागत विफलताओं के लिए मालिकों और प्रकाशकों को, फर्जी समाचारों को फैलाने के लिए बिचौलियों और प्लेटफार्मों को जवाबदेही सौंपने की मांग करते हुए प्रकाशन और प्रसारण पर नकेल कसने के लिए मौजूदा अधिनियमों और नियमों के तहत दंडात्मक प्रावधानों में संशोधन की जरूरत बताई है। समिति ने यह भी कहा कि इसमें मीडिया निकायों और संबंधित हितधारकों के बीच आम सहमति बनाने की प्रक्रिया शामिल होनी चाहिए और उसी से यह उभर कर सामने आना चाहिए। समिति का मानना है कि जुर्माने की राशि बढ़ाई जा सकती है, ताकि फर्जी समाचार बनाने वालों और प्रकाशकों के लिए यह पर्याप्त निवारक बन सके। अस्पष्टता गलत सूचना और फर्जी समाचार की व्याख्या को बिगाड़ती है। समिति ने मंत्रालय से प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल मीडिया के लिए वर्तमान नियामक तंत्र में उपयुक्त धाराएं शामिल करके इसे परिभाषित करने को कहा। सीमा पार से जुड़े फर्जी समाचारों को लेकर समिति ने राष्ट्रीय स्तर पर अंतर-मंत्रालयी सहयोग तथा अंतरराष्ट्रीय निकायों के साथ बहुपक्षीय सहयोग की सिफारिश की है। इसमें कहा गया कि सरकार अन्य देशों द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं का अनुकरण कर सकती है। उदाहरण के लिए, चुनाव संबंधी गलत सूचना पर फ्रांसीसी कानून और सीमा पार गलत सूचना और फर्जी खबरों से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए एक छोटा लेकिन समर्पित अंतर-मंत्रालयी कार्यबल बनाना जिसमें कानूनी विशेषज्ञों के अलावा सूचना एवं प्रसारण, विदेश मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल हों। एआई से बनी फर्जी खबरों के प्रसार के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों और संस्थाओं की पहचान करने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए ठोस कानूनी और तकनीकी समाधान विकसित करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के बीच घनिष्ठ समन्वय की वकालत करते हुए समिति ने कहा कि ऐसा करने के लिए एआई उपकरणों का मानवीय निगरानी के साथ लाभ उठाया जाना चाहिए।

रिपोर्ट में कहा गया है कि समिति एआई सामग्री निर्माताओं के लिए लाइसेंसिंग आवश्यकताओं की व्यवहार्यता का पता लगाने और एआई-जनित वीडियो और सामग्री के अनिवार्य लेबलिंग के लिए अंतर-मंत्रालयी समन्वय की सिफारिश करती है।